राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2170/2010/भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–अ,भीलवाड़ा । अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स पी.वी.ऑर्ग्रेनिक मैन्योर प्रा.लि.
भीलवाड़ा। प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 11.03.2015

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 14/सीएसटी/2008–09 के संबंध में है, जिसमें प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(5) सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष 2005–06 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2008 के जरिये कायम 88,75,770/– व अनुवर्ती ब्याज रू. 26,03,559/– की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में पशुओं की हड्डियां क्रय की जाकर, उन्हें क्रश कर, crushed bone, powder, bone grist and bone sinew का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं को आलोच्य अवधि में कर मुक्त घोषित किया गया । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त वस्तुओं को कर योग्य होना अवधारित कर, उक्त के संबंध में करारोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्तानुसार मांग राशियां कायम कर, आदेश पारित किया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत

लगातार.................2

अपील स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2009 अपील संख्या 1960 व 1961/2008/भीलवाड़ा को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि उक्त पारित आदेश में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुओं को कर मुक्त घोषित किया गया है। अतः उक्त आधार पर ही हस्तगत प्रकरण में कायम मांग राशियों को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी । अपने उक्त तर्क के समर्थन में समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा निम्नांकित पारित न्यायिक दृष्टांतों को भी प्रोद्धरित किया गयाः–

(i) मैसर्स ग्लोबल ऑर्गेनिक मैन्योर, भीलवाड़ा बनाम् अतिरिक्त आयुक्त (विधि) जयपुर अपील संख्या 2144/2007/भीलवाड़ा

(ii) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स मृदुल मैन्योर मिल्स, प्रा.लि., भीलवाड़ा अपील संख्या 1237 से 1240 व 1451 से 1454/2009/भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 19.09.2012

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया तथा हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में दिये गये विनिश्चय से हस्तगत प्रकरण का विवादित बिन्दु पूर्ण रूपेण आच्छादित है, जिसमें crushed bone, powder, bone grist and bone sinew को जैविक खाद होना मानकर, अधिनियम के तहत् कर मुक्त होना अवधारित किया गया है। **इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 15 के तहत् जारी अधिसूचना कमांक एफ.4(25)एफडी.ग्र/92–पीटी–II–21 दिनांक 29.09.1995 की प्रतिवष्टि संख्या–7– "Fertilizers and manure (not including chemical fertilizers" कर मुक्त है।** अतः कर बोर्ड द्वारा उपर्युक्त वर्णित पारित आदेशों में

लगातार.....3

अपील संख्या 2170/2010 / भीलवाड़ा

प्रतिपादित सिद्धांतों व उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के जरिये कायम कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपास्त किया जाता हैं। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त बिन्दु पर प्रतिप्रेषित करने संबंधी पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है ।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

11.3.15

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य